पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रस्तुत अपील तहसीलदार, लोहावट के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 05/2021 मोहनराम बनाम तहसीलदार लोहावट में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किये जाने पर, राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, के श्रवणाधिकार बिन्दू पर अपीलान्ट के अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में यह तथ्य अंकित किये गये है कि अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार, लोहावट के समक्ष ग्राम लोहावट विश्नावास वर्तमान ग्राम विष्णुनगर तहसील लोहावट के ख0सं0 355 रकबा 2.8490, ख0सं0 424 रकबा 0.0243 हैक्टर, ख0सं0 422/1 रकबा 3.8850 हैक्टर भूमि के 3/4 हिस्से के सहखातेदार हरचन्दराम पुत्र काछबाराम थे। हरचन्दराम लाऔलाद दिनांक 21.2.99 को फौत हो गये। हरचन्दराम के द्वारा देहान्त से पूर्व दिनांक 25.07.95 को अपीलार्थी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया था। जिस वसीयतनामें के आधार पर तहसीलदार लोहावट के कार्यालय के समक्ष दिनांक 3.9.21 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात पटवारी हल्का के रिपोर्ट तलब की गई एवं अपीलान्ट की ओर से सम्पूर्ण दस्तावेज व न्यायिक दृष्टान्त इत्यादि पेश कर बहस पूर्ण कर ली गई। तत्पश्चात पत्रावली को दिनांक 2.11.2021 को वास्ते आदेश रख दिया गया, फिर भी आज दिन तक अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को तहसीलदार लोहावट द्वारा जानबूझकर आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। इस कारण से अपीलेन्ट कोर्ट माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार होने से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में जमाबन्दी में सभी दर्ज खातेदार फौत है जिनके विरासत के नामा0 नहीं हुए है। इस बाबत खातेदारों के वारिसों के द्वारा सहायक कलेक्टर लोहावट के समक्ष एक वाद पेश किया जिसमें दिनांक 14.09.2021 को को राजस्व रेकर्ड व मौका

की यथास्थिति का आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.09.2021 तक फौतेदगी नामा0 छूट प्रदान की थी। इसी प्रकार एक अन्य वाद सूरजाराम के वारिसान द्वारा सहा0 कलेक्टर के समक्ष पेश होने पर दिनांक 11.10.2021 को राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील संख्या 176/21 पेश हुई जिसमें भी दिनांक 20.10.21 को विरासत के नामा0 की छूट प्रदान की थी अर्थात वर्तमान समय में किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त भूमि के विरासत के नामा0 करने में कोई रोक नहीं है, फिर भी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 12.11.2021 को उक्त पत्रावली में आदेश पारित करने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया गया फिर भी विचाराधीन प्रकरण में कोई आदिनांक तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। रेस्पो0 द्वारा अन्य सहखातेदारों से मिलीभगती करते हुए पद का दुरूपयोग करते हुए न्याचिक प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। इस कारण से अपीलार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्षयह अपील पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। राज0 भू राजस्व अधिनियम में न्यायालय हाजा को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील पत्रावलियों में निर्देश देने के तमाम अधिकार प्राप्त है अतः तहसीलदार लोहावट को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण भरने का आदेश पारित करें।

हमने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों इत्यादि प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 का अवलोकन किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त न्यायालय को होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का अन्तिम

आदेश पारित नहीं किया गया है जिस पर इस न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती है और न ही कोई न्यायिक आदेश/निर्णय दिया जा सकता है।

हमारे विनम्र मत में पक्षकार को न्याय दिलाये जाने की दृष्टि से प्रशासनिक रूप से तहसीलदार लोहावट को इस प्रकार से निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अपने न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 05/2021 अनवान मोहनराम बनाम तहसीलदार लोहावट को नियमानुसार विधि अनुरूप निर्णय लेते हुए 15 दिवस में निर्णित करावें।

डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर